Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- पुलिस चौकी पिपलिया कला (थाना रायपुर, जिला ब्यावर) के चौकी प्रभारी एएसआई भागाराम को 1,00,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 12 दिसम्बर, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. पाली द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **भागाराम, एएसआई को दो लाख रुपये रिश्वत राशि माँगकर, एक लाख इक्कीस हजार रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर आज रिश्वत राशि 1,00,000/- (एक लाख)रुपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो **महानिदेशक पुलिस श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी पाली द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पिता के खिलाफ रायपुर थाने में दर्ज मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में भागाराम एएसआई, चौकी प्रभारी पुलिस चौकी पिपलिया कला, थाना रायपुर, जिला ब्यावर द्वारा रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भूवन भूषण यादव** के सुपरविजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय के **प्रभारी श्री खींव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** एवं टीम के द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 12.12.2025 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी भागाराम, एएसआई, चौकी प्रभारी पिपलिया कला पुलिस चौकी, थाना रायपुर, जिला ब्यावर को रिश्वत राशि 1,00,000/- (एक लाख रूपये) लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।